# न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0 )

वाद सं0 : 469 सन 2020

अनवान :–

1. बनवारी दास पुत्र बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. गोरीशंकर पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. लालचन्द पुत्र बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. बलदेव पुत्र बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. गीता पुत्री बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

**दावा इस्तकरार हक अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**उपस्थित :– श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी**

**निर्णय दिनांक :–** 10/09/2021

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता एक वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आश्य का पेश किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 77/396 के खसरा न0 503/2 की 1.1880हैक , खसरा न0 504/2 की कुल 1.0880हक खसरा न0 507/4 की कुल 1.2270हैक खसरा न0 528/4 की कुल 4.4780हैक कुल 7.9880हैक भूमि जिसमें वादी व तरतीबी प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 बहिब 276–3/4 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि का नामन्तरकण दर्ज करते समय तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया सहवन से वादी का नाम पप्पु पुत्र बुधर दास दर्ज कर दिया जो वादी का गलत नाम दर्ज किया गया है वादी का सही व वास्तविक नाम बनवारी दास पुत्र बुधर दास है अर्थात वादी का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से दर्ज किया गया है। वादी का सही नाम बनवारी दास पुत्र बुधर दास है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम बनवारी दास पुत्र बुधर दास दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पप्पु पुत्र बुधर दास दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

अतः वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाकर पप्पु पुत्र बुधर दास के स्थान पर बनवारी दास पुत्र बुधर दास संशोधन करने के आदेश फरमावे वादी का वाद डिक्री फरमावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 की और से पेरोकार राज उपस्थित होकर जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावे जबाब शामिल मिलस किया गया तथा प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने वादी के के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश उभयपक्षों की बहस सुनी ।

वकील वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 77/396 के खसरा न0 503/2 की 1.1880हैक , खसरा न0 504/2 की कुल 1.0880हक खसरा न0 507/4 की कुल 1.2270हैक खसरा न0 528/4 की कुल 4.4780हैक कुल 7.9880हैक भूमि जिसमें वादी व तरतीबी

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रतिवादीगण संख्या 2 ता 5 बहिब 276–3/4 हिस्सा के मुश्तरका खातेदार काश्तकार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

उक्त भूमि का नामन्तरकण दर्ज करते समय तरतीबी प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का नाम तो सही तौर से दर्ज कर दिया सहवन से वादी का नाम पप्पु पुत्र बुधर दास दर्ज कर दिया जो वादी का गलत नाम दर्ज किया गया है वादी का सही व वास्तविक नाम बनवारी दास पुत्र बुधर दास है अर्थात वादी का नाम सहवन से राजस्व रिकार्ड तैयार करते समय सहवन से दर्ज किया गया है। वादी का सही नाम बनवारी दास पुत्र बुधर दास है यही नाम सभी दस्तावेजात में दर्ज है।

वादी के सभी दस्तावेजात जैसे भारत निर्वाचन आयोग का मतदाता फोटो पहचान पत्र , भारत सरकार का आम आदमी का आधार कार्ड , परिवार राशन कार्ड सभी में वादी का नाम बनवारी दास पुत्र बुधर दास दर्ज है किन्तु राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम पप्पु पुत्र बुधर दास दर्ज किया गया है जो गलत है।

वादी का राजस्व रिकार्ड में नाम गलत तौर से दर्ज होने से वादी के खातेदारी अधिकारों का हनन होता है वादी को राज्य सरकार के द्वारा दी जाने वाली केसीसी , खाद बीज का ऋण , मुआवजा व अन्य योजनाओं का लाभ प्राप्त नही हो पा रहा है वादी का अन्य किसी सहखातेदार से कोई अनुतोष नही है वादी केवल राजस्व रिकार्ड में अपना नाम संशोधन करवाना चाहता है।

पेरोकार राज ने अपनी बहस में अपने जबाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 ने वादी के नाम संशोधन किये जाने हेतु सहमति एवं शपथ पत्र पेश किया गया है।

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत दस्तावेजात के अनुसार की रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 77/396 के खसरा न0 503/2 की 1.1880हैक , खसरा न0 504/2 की कुल 1.0880हक खसरा न0 507/4 की कुल 1.2270हैक खसरा न0 528/4 की कुल 4.4780हैक कुल 7.9880हैक भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 के नाम मुश्तरका खाते में दर्ज है।

वादी का कथन है कि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करते समय बनवारी दास पुत्र बुधर दास के स्थान पर पप्पु पुत्र बुधर दास दर्ज किया गया है सही नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाना चाहते है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के मतदाता पहचान पत्र, आम आदमी का आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, दस्तावेजात सभी में वादी का नाम बनवारी दास दर्ज है। वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात से वादी का नाम बनवारी दास होना प्रतित होता है

वादी के राजस्व रिकार्ड एवं प्रस्तुत अन्य दस्तावेजात में वादी के नामों में भिन्नता है तहसीलदार राजस्व नोहर के अनुसार वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो किसी प्रकार का ऐतराज नही है साथ ही यदि वादी का नाम राजस्व रिकार्ड में संशोधन किया जाता है तो राज्य सरकार को किसी प्रकार की हानी नही होती है बल्की राजस्व रिकार्ड ही संशोधित होता है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात , शपथ पत्र/पेरोकार राज का किसी प्रकार का ऐतराज पेश होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण काबिल डिक्री है।

वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुत एवं पेरोकार राज को किसी प्रकार को ऐतराज नही होने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 81/306 के खसरा न0 503/2 की 1.1880हैक , खसरा न0 504/2 की कुल 1.0880हक खसरा न0 507/4 की कुल 1.2270हैक खसरा न0 528/4 की कुल 4.4780हैक कुल 7.9810हैक भूमि में वादी का नाम पप्पु पुत्र बुधर दास अंकित है के स्थान पर बनवारी दास उर्फ पप्पु पुत्र बुधर दास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी अनुसार पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10/09/2021 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ़ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

# पर्चा डिक्री

( आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी )

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर**

**अज अदालत :– सुश्री श्वेता कोचर ( आर.ए.एस)**

अनवान :–

1. बनवारी दास पुत्र बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

**बनाम**

1 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर।

प्रतिवादी

2. गोरीशंकर पुत्र बुधरदास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
3. लालचन्द पुत्र बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
4. बलदेव पुत्र बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।
5. गीता पुत्री बुधर दास जाति स्वामी निवासी थिराना तहसील नोहर।

तरतीबी प्रतिवादीगण

**वाद अन्तर्गत धारा 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955**

**राजस्व वाद संख्या 469 सन 2020 निर्णय दिनांक–** 10/09/2021

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादीयागण एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्यों के आधार पर वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा थिराना के खाता संख्या 81/306 के खसरा न0 503/2 की 1.1880हैक , खसरा न0 504/2 की कुल 1.0880हक खसरा न0 507/4 की कुल 1.2270हैक खसरा न0 528/4 की कुल 4.4780हैक कुल 7.9810हैक भूमि में वादी का नाम पप्पु पुत्र बुधर दास अंकित है के स्थान पर बनवारी दास उर्फ पपु पुत्र बुधर दास संशोधन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकिन किया जावे। व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 10/09/2021 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी ( राजस्व )
नोहर ( हनुमानगढ )

उपखण्ड अधिकारी
नोहर